



2026:AHC:56205

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9741 वर्ष 2026

गुलाम रसूल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विकास मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. श्री विकास मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिनांक 21.01.2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1, रामपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1443 वर्ष 2024 (राज्य बनाम हाजी अली एवं अन्य) अपराध संख्या 193 वर्ष

2024, धारा 147, 323, 504, 506, 160, 34 एवं 336 भारतीय दंड संहिता, थाना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शाहबाद, जनपद रामपुर में पारित आदेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक आपराधिक वाद संख्या 1443 वर्ष 2024 (राज्य बनाम हाजी अली एवं अन्य), जो अपराध संख्या 193 वर्ष 2024, धारा 147, 323, 504, 506, 160, 34 एवं 336 भारतीय दंड संहिता, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर से उत्पन्न हुआ है, में सह-अभियुक्तों में से एक है, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1, रामपुर के न्यायालय में लंबित है। वाद की लंबितता के दौरान, आवेदक ने संबंधित न्यायालय के समक्ष धार्मिक उद्देश्य, अर्थात् मक्का मदीना हेतु हज यात्रा के लिए यात्रा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस संबंध में उसने पासपोर्ट हेतु आवेदन किया है। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया कि वह उक्त वाद में जमानत पर है तथा उसकी आयु लगभग 72 वर्ष है और वह धार्मिक उद्देश्य से हज यात्रा करना चाहता है। आवेदन पर विचार करने के उपरांत, संबंधित न्यायालय ने यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि आवेदक ने यह उल्लेख नहीं किया कि वह मक्का मदीना की हज यात्रा हेतु किस अवधि के लिए यात्रा करना चाहता है तथा आवेदन के साथ अपने पासपोर्ट की प्रति संलग्न नहीं की।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मक्का मदीना हेतु हज यात्रा करने के उद्देश्य से आवेदक ने दिनांक 03.12.2024 को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसमें यह उल्लेख किया गया कि आवेदक के विरुद्ध अपराध संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



193 वर्ष 2024 पंजीकृत है, अतः संबंधित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु आवेदन अभी भी विचाराधीन है। अतः आवेदक ने धार्मिक उद्देश्य, अर्थात् मक्का मदीना की हज यात्रा हेतु यात्रा करने की अनुमति के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तथापि, उक्त आवेदन बिना किसी पर्याप्त कारण के निरस्त कर दिया गया।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक द्वारा आवेदन विधिवत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः संबंधित न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।
6. दोनों पक्षों के तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदक के विरुद्ध आपराधिक वाद लंबित है। आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि उक्त आपराधिक वाद 21 नामित व्यक्तियों तथा 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था तथा आवेदक उक्त वाद में जमानत पर है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि सभी अभियुक्त एक ही तिथि पर उपस्थित नहीं हुए हैं, अतः वाद के निस्तारण में कुछ समय लग सकता है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वंगला कस्तूरी रंगाचार्युलु बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (आई.ए. संख्या 52346/2021, आपराधिक अपील संख्या 1343/2017) में पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि पासपोर्ट प्राधिकरण केवल आपराधिक अपील लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नवीनीकरण से इंकार नहीं कर सकता। संदर्भ हेतु दिनांक 27.09.2021 के आदेश का प्रचालनात्मक भाग निम्नवत् उद्धृत किया जाता है :-

"पासपोर्ट से इंकार केवल उस स्थिति में किया जा सकता है, जब आवेदक आवेदन की तिथि से ठीक पूर्व पांच वर्ष की अवधि में नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दोषसिद्ध हो तथा उसे दो वर्ष से कम की कारावास की सजा न हुई हो।

धारा 6(2)(f) उस स्थिति से संबंधित है, जहां आवेदक किसी आपराधिक न्यायालय में विचारण का सामना कर रहा हो।

निस्संदेह, वर्तमान में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि आपराधिक अपील के निस्तारण तक स्थगित है। जिस सजा को उसे भुगतना है, वह एक वर्ष की अवधि की है। पासपोर्ट प्राधिकरण केवल आपराधिक अपील लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इंकार नहीं कर सकता।

पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय में लंबित आपराधिक अपील के संबंध में आपत्ति उठाए बिना आवेदक के पासपोर्ट का नवीनीकरण करे। अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, अंतरिम आवेदन का निस्तारण किया जाता है।"

8. पासपोर्ट जारी करने के आवेदन को अस्वीकार किए जाने के कारणों का उल्लेख पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (जिसे आगे "पासपोर्ट अधिनियम" कहा जाएगा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 6 में किया गया है। सुविधा हेतु धारा 6 निम्नवत् पुनः उद्धृत की जा रही है :-

"6. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज आदि से इंकार—

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए अनुमोदन करने से निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर और किसी अन्य आधार पर नहीं, इंकार करेगा, अर्थात्—

(क) कि आवेदक उस देश में भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न हो सकता है या होने की संभावना है;

(ख) कि उस देश में आवेदक की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है या होने की संभावना है;

(ग) कि उस देश में आवेदक की उपस्थिति उस देश अथवा किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिकूल हो सकती है या होने की संभावना है;

(घ) कि केंद्रीय सरकार की राय में उस देश में आवेदक की उपस्थिति जनहित में नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत किसी विदेशी देश की यात्रा हेतु पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर और किसी अन्य आधार पर नहीं, इंकार करेगा, अर्थात्—

(क) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) कि आवेदक भारत के बाहर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न हो सकता है या होने की संभावना है;

(ग) कि आवेदक का भारत से प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है या होने की संभावना है;

(घ) कि भारत के बाहर आवेदक की उपस्थिति किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिकूल हो सकती है या होने की संभावना है;

(ङ) कि आवेदक आवेदन की तिथि से ठीक पूर्व पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषसिद्ध किया गया हो तथा उसे कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई हो;

(च) कि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध

में कार्यवाही भारत के किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित हो;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(छ) कि आवेदक की उपस्थिति के लिए समन या वारंट अथवा गिरफ्तारी वारंट किसी न्यायालय द्वारा वर्तमान में प्रवर्तित किसी विधि के अंतर्गत जारी किया गया हो अथवा आवेदक के भारत से बाहर जाने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो;

(ज) कि आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने प्रत्यावर्तन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की हो;

(झ) कि केंद्रीय सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना जनहित में नहीं होगा।"

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक वाद की लंबितता के संबंध में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(e) एवं 6(2)(f) प्रासंगिक हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(e) के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने से इंकार किया जा सकता है, यदि आवेदन की तिथि से ठीक पूर्व पाँच वर्षों की अवधि में आवेदक को भारत में किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषसिद्ध किया गया हो तथा उसे कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई हो। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के अनुसार, यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत के किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित हो, तो भी पासपोर्ट आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 25.08.1993 को जारी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यदि न्यायालय द्वारा आदेश पारित हो, तो आपराधिक वाद लंबित होने की स्थिति में भी कुछ परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। चूँकि विद्वान ए.जी.ए. ने न्यायालय के संज्ञान में दिनांक 25.08.1993 का सरकारी आदेश लाया, अतः उसे निम्नवत् पुनः उद्धृत किया जा रहा है:-

भारत सरकार, विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 1993 जी.एस.आर. 570 (ई)

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 298 (ई), दिनांक 14 अप्रैल, 1976 को अधिस्थगित करते हुए, केंद्रीय सरकार, जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए, भारत के उन नागरिकों को, जिनके विरुद्ध किसी कथित अपराध के संबंध में भारत के किसी आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही लंबित है और जो संबंधित न्यायालय से भारत से बाहर जाने की अनुमति संबंधी आदेश प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (f) के प्रावधानों के संचालन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

(क) ऐसे प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट निम्नानुसार जारी किया

जाएगा—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) यदि न्यायालय के आदेश में पासपोर्ट जारी करने की अवधि निर्दिष्ट हो, तो उसी अवधि के लिए; या

(ii) यदि आदेश में पासपोर्ट जारी करने अथवा विदेश यात्रा की अवधि निर्दिष्ट न हो, तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा;

(iii) यदि आदेश में विदेश यात्रा के लिए एक वर्ष से कम अवधि की अनुमति दी गई हो, परंतु पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्दिष्ट न हो, तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा; या

(iv) यदि आदेश में विदेश यात्रा के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि की अनुमति दी गई हो तथा पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्दिष्ट न हो, तो पासपोर्ट उस आदेश में निर्दिष्ट विदेश यात्रा की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त (a)(ii) एवं (a)(iii) के अंतर्गत जारी पासपोर्ट को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक न्यायालय द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए विदेश यात्रा न कर चुका हो तथा इस बीच न्यायालय के आदेश को निरस्त या संशोधित न किया गया हो।

(ग) उपरोक्त (a)(i) के अंतर्गत जारी पासपोर्ट का नवीनीकरण केवल न्यायालय के नवीन आदेश के आधार पर किया जाएगा, जिसमें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पासपोर्ट की वैधता की अवधि अथवा विदेश यात्रा की अवधि निर्दिष्ट हो।

(घ) उक्त नागरिक पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में यह आश्वासन देगा कि पासपोर्ट की वैधता अवधि के दौरान यदि संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. इस संबंध में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान भी प्रासंगिक हैं, जो निम्नवत् हैं :-

"22. छूट प्रदान करने की शक्ति — जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि कोई हों,—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट प्रदान कर सकती है; तथा

(ख) समय-समय पर ऐसी किसी अधिसूचना को निरस्त कर सकती है तथा समान प्रकार की अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पुनः ऐसे प्रावधानों के अधीन कर सकती है।"

11. विवादित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट ने आवेदक के

आवेदन को अस्वीकार करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का समुचित प्रयोग नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने यह प्रकट नहीं किया कि वह धार्मिक उद्देश्य, अर्थात् मक्का एवं मदीना की हज यात्रा हेतु कब जाना चाहता है, जबकि आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि वह मक्का एवं मदीना की हज यात्रा पर जाना चाहता है, जो सामान्यतः वर्ष में एक बार होती है। यदि विचारण न्यायालय की यह राय थी कि अल्प अवधि के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है, तो उसे यह स्पष्ट करने हेतु आवेदक से उस अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, जिसके दौरान वह धार्मिक उद्देश्य हेतु जाना चाहता था, न कि इस आधार पर आवेदन अस्वीकार करना चाहिए था, जो कि उचित नहीं है। विवादित आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने आवेदन के साथ पासपोर्ट संलग्न नहीं किया है, जो कि भी गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि आवेदक का यह कथन है कि उसने पासपोर्ट जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है तथा पासपोर्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रति संलग्न की थी। अतः अनापत्ति के लिए आवेदन को तुच्छ आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया।

12. उपरोक्त के आलोक में, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण को संबंधित न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाता है ताकि वह आवेदक के आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए, यदि आवश्यक हो, तो उस अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर, जिसके दौरान आवेदक उपर्युक्त धार्मिक उद्देश्य हेतु जाना चाहता है, शीघ्रता से निर्णय करे।

दिनांक : 18 मार्च, 2026

अमित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।